**FORM NO - III**

# फर्द अहकाम

**(नियम 26)**

## अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

**प्रकरण संख्या** ......33/2023......

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

......ग्राम पंचायत टिकावड़ा......

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर ........ सन् 2023

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/02/23 | तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम **टिकावड़ा** तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1146/89 रकबा 36.4664 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.7426 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाणी पुरोहितान परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। **श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718–46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा चारागाह भूमि से गुजर रहे/चारागाह भूमि में स्थित रास्ते बाबत् निर्देश दिये गये है कि राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत् राजस्व मानचित्र में किस्म "गै0मु0 रास्ता/गै0मु0 सड़क" अंकित कर तरमीम की जावे, लेकिन इसे चारागाह खाते में ही रखा जावे।** अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।<br><br>राजस्व अधिकारी<br>राष्ट्रीय लोक अदालत<br>किशनगढ़<br><br>न्यायिक अधिकारी<br>राष्ट्रीय लोक अदालत<br>किशनगढ़ | |